कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, गोपालगंज।

exengfcdgpg@gmail.com

पत्रांक – 1073 / गोपालगंज, दिनांक –26 / 05 / 2026

भाड़े पर वाहन रखने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना–04 / 2026–27

बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, गोपालगंज के अन्तर्गत तटबंध के निरीक्षण एवं अन्य सरकारी कार्य के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों के लिए निरीक्षण वाहन की आवश्यकता है:–

क्र0सं0	पदाधिकारी	वाहन का प्रकार	संख्या	अभियुक्ति
01	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमण्डल, सारंगपुर।	स्कॉर्पियों / बोलेरो (Non A.C.)	1 अदद	
02	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमण्डल, गोपालगंज।	स्कॉर्पियों / बोलेरो (Non A.C.)	1 अदद	
03	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमण्डल, डुमरिया।	स्कॉर्पियों / बोलेरो (Non A.C.)	1 अदद	
04	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमण्डल, बसंतपुर बंगला।	स्कॉर्पियों / बोलेरो (Non A.C.)	1 अदद	

कुल चार (04) अदद वाहन के लिए इच्छुक मालिकों / ट्रेवल एजेसियों से मुहर बन्द लिफाफा में वर्णित गाड़ी का भाड़े का दर कोटेशन निम्नलिखित शर्तो के अधीन आमंत्रित किया जाता है :–

01	कोटेशन आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, गोपालगंज।
02	कोटेशन प्राप्त करने का स्थान	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, गोपालगंज का कार्यालय
03	कोटेशन प्राप्त करने की तिथि	03.06.2026 समय 03:00 अपराहन तक
04	कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय	03.06.2026 समय 03:30 अपराह्न

नियम एवं शर्त्ते :–

1 कोटेशन के संबंध में अन्तिम निर्णय लेने एवं बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

2 गाड़ी के साथ अनुज्ञप्तिधारी चालक वाहन मालिक को उपलब्ध कराना होगा।

3 चालक का वेतन, वाहन का रख–रखाव वाहन मालिक को करना होगा, ताकि वाहन तकनिकी गड़बड़ी से हमेशा मुक्त रहे। वाहन न्यूनतम 10 कि0मी0 प्रतिलिटर या अधिक हो मान्य होगा।

4 जिला प्रशासन, गोपालगंज के द्वारा बोलेरो / स्कॉर्पियो के निर्धारित दर / कम दर ही भुगतान किया जायेगा।

5 कोटेशन के साथ व्यवसायिक वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदुषण प्रमाण पत्र, GST Registration, Pan No. आदि उपलब्ध कराना होगा।

6 कोटेशन स्वीकार होने पर वाहन मालिक को रूपये 1000.00 के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना होगा।

7 वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा क्षतिग्रस्त होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक / फार्म आपूर्तिकर्ता का होगा।

8 वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक की जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेगें।

9 वाहन उपयोग हेतु 24 घण्टे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/फार्म आपूर्तिकर्ता का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगें। साथ ही नियमित चालक की अनुपस्थिति में दूसरे वैकल्पिक चालक को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी वाहन मालिक/फार्म आपूर्तिकर्ता का ही होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर कटौती कर ली जायेगी।

10 कोटेशन के आधार पर रखे गये वाहन के भुगतान से GST एवं नियमानुसार अन्य कटौतियॉ की जाएगी।

11 शपथ–पत्र एवं वॉछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

12 एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लौटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फार्म आपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा।

कोटेशनदाताओं को कोटेशन बन्द लिफाफा में वाहन से संबंधित सभी अद्यतन कागजातों (उपरोक्त कंडिका 05 में वर्णित) के साथ कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। विभाग में आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। वाहन जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक अधिगृहित किया जायेगा। अधिगृहित वाहन की एकरारित अवधि विभागीय निदेश के अनुरूप बढ़ाया–घटाया जा सकता है।

–ह0/–
(मो0 साजिद इकबाल)
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, गोपालगंज।

पत्रांक – 1073/ गोपालगंज, दिनांक –26/05/2026

प्रतिलिपि :– सूचना एवं जल सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्रों के प्रकाशन हेतु समर्पित।

26/05/2026

(मो0 साजिद इकबाल)
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, गोपालगंज।